संख्या- 04 /2021/ 114/53-2-21-2(119)/15

प्रेषक,

रविशंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी / उप दुग्धशाला विकास अधिकारी / आहरण वितरण अधिकारी ।
आगरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज(इलाहाबाद), प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या (फैजाबाद), अम्बेडकरनगर, बहराईच, गोण्डा।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी, 2021**

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के पत्रांक-554/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ी0- सामान्य(252)/ 2020-21, दिनांक 25 जनवरी,2021 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020 /बी-1-149/दस- 2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित व्यवस्थानुसार प्रथम किश्त रू0 833.254 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 12/2020/748/ 53-2-20-2(119) /2015 दिनांक 31-08-2020 द्वारा तथा द्वितीय किश्त रू0 833.254 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-16/2020/920/53-2-20-2(119)/2015 दिनांक 24-11-2020 तथा तृतीय किश्त के रूप में रू0 833.254 लाख शासनादेश संख्या-21/2020/1115/53-2-20-2(119)-2015 दिनांक 30-12-2020 द्वारा कुल रू0 2499.664 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है । वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप की व्यवस्थानुसार प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख की अवशेष धनराशि रू0 2500.336 लाख के सापेक्ष रू0 833.448 लाख (रू0 आठ करोड़ तैंतीस लाख चवालिस हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, चतुर्थ किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा । निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर के अनुमोदन लेते हुए ही धनराशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करेगें।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/ डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा ।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु है । धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में किया जायेगा । किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा ।
(4) योजनान्तर्गत व्यय धनराशि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये किसी अन्य योजना से द्विरावृत्ति न हो ।
(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा ।
(6) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा ।
(7) अनुमोदित की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी ।
(8) संबंधित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेगें ।

...2

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ /समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(10) परिव्यय की उपलब्धता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा। उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी।

(11) स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग दुग्ध व्यवसाय को सुदृढ़ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद में इसका व्यय/ उपयोग नही किया जायेगा।

(12) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा सम्बन्धित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत किश्तों की धनराशि का निर्धारित मदों में उपभोग सुनिश्चित कराते हुए इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(14) स्वीकृति की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(15) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(16) उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में ऑकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त का होगा।

(17) स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020 /बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, 07-04-2020, 11-04-2020 एवं 18-05-2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक- ''2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-04-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला-योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः ई-1- 101 /दस-2021, दिनांक 09 फरवरी,2021 में प्राप्त सहमति के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

.....3/-

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

संख्या-04 /2021/114(1)/53-2-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3 / राज्य योजना आयोग-3
13- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
14- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
15- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है।**